न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 331/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

संदीप कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सु[illegible]न पुत्री श्री श्रवण कुमार पत्नी श्री अपील जाति जाट निवासी नाथवाना हाल आबाद खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री दीपेन्द्र कुमार, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री विनोद साईच, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 13-9-22

वादी संदीप कुमार ने प्रतिवादीगण श्रवण कुमार वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी की बहिन है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिसका अब उक्त भूमि में कोई हित व

लगातार --2

13/9

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) **वादी संदीप कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि।

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 श्रवण कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

लगातार --3

13/10
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी. डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दी पेश की। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तन्कीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी. डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13-9-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/9/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 331/2022

संदीप कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुमन पुत्री श्री श्रवण कुमार पत्नी श्री अपील जाति जाट निवासी नाथवाना हाल आबाद खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- ……………

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाला कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री दीपेन्द्र कुमार** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री विनोद साईच** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 94/79 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.856 है. कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ………… निल ………… मुब्लिक ………………निल ………… बाबत् ………… निल………… खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक …………को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 13-9-22 को जारी किया जाता है।

13/9/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया